

निविदा प्रपत्र

DFA
7/2
215

1. स्टेशनरी प्रदाय के लिए निविदा
2. फर्म का नाम
- पूर्ण पता
- दूरभाष नम्बर मोबाईल नं.
3. सम्बोधित - कुलसचिव, डॉ. स. रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. सन्दर्भ आपकी निविदा सूचना क्रमांक भण्डार/रा.आ.वि.वि./17-18/..... दिनांक
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/- नकद राशि रसीद सं.दिनांक द्वारा जमा करवाई गई।
6. निविदा सूचना क्रमांक दिनांक के धर्णिता सभी शर्तों तथा संलग्न शीट जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं में दी गई. उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना हम स्वीकार करते हैं।
7. निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिये दरें निम्न प्रकार होंगी -

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	विशिष्टताएं /मैक	दर प्रति नग
1	पेपर रिम ए-4 (75 जी.एस.एम.) सेन्चूरी	600 नग		
2	पेपर रिम एफ एस साईज	50 नग		
3	ऑलपिन पैकेट (टी पिन)	100 पैकेट		
4	फाईल कवर मय लैस (विश्वविद्यालय के नाम प्रिंटिंग सहित)	5000 नग		
5	फाईल पैड सुपीरियर	300 नग		
6	फाईल पैड सामान्य	200 नग		
7	गम बॉटल 700 एम.एल.	12 नग		
8	गम बॉटल 300 एम.एल.	24 नग		
9	स्टॉम्प पैड बड़ा	12 नग		
10	वाइटनर	50 नग		
11	बाइण्डेड रजिस्टर 240 पेज	70 नग		
12	बाइण्डेड रजिस्टर 192 पेज	120 नग		
13	फेविस्टिक 15 ग्राम	80 नग		
14	पेपर वेट सुपीरियर	40 नग		
15	फाईल टैग 6 इंच	1000 नग		
16	पैकिंग टेप 2 इंच	150 नग		
17	स्टेप्लर छोटा	24 नग		
18	स्टेप्लर बड़ा	12 नग		
19	पंचिंग मशीन बड़ी	12 नग		
20	पेंसिल एच.बी.	50 पैकेट		
21	स्केल स्टील 12 इंच	06 नग		
22	प्लास्टिक फोल्डर सुपीरियर	200 नग		
23	बॉल पेन सेलो/रिनोल्ड/मॉनटेक्स (लाल/हरा/आसमानी स्याही)	2000 नग		
24	कार्बन	10 पैकेट		

25	रबड़ बैंड बड़े/छोटे	10 पैकेट		
26	हार्डलाईट पेन	50 नग		
27	मार्कर पेन छोटे/बड़े	40 नग		
28	छात्र उपस्थिति रजिस्टर (बड़ी साइज बाईडिंग सहित 52 नाम वाले रस्तोगी/भण्डारी)	400 नग		
29	स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर (बड़ी साइज बाईडिंग सहित सिंगल मिटिंग 52 नाम वाले रस्तोगी/भण्डारी)	25 नग		
30	स्टेपलर पिन छोटी	200 पैकेट		
31	स्टेपलर पिन बड़ी	100 पैकेट		
32	पेज मार्कर/फाइल फ्लेग	50 नग		
33	फेविकॉल 50 ग्राम	20 नग		
34	केलकूलेटर (सीटीजन/केसियो 12 डिजिट मिडियम साइज)	15 नग		
35	डाक पैड फोर फोल्ड (अच्छी किस्म का)	12 नग		
36	रबड़ (Eraser)	10 पैकेट		
37	चिपड़ी बॉक्स	20 पैकेट		
38	प्लास्टिक स्ट्रीप फोल्डर	100 नग		
39	बैंक कॉलम केश बुक 180 पेज (लोढ़ा/रस्तोगी/भण्डारी)	10 नग		
40	लेजर 140 पेज (लोढ़ा/रस्तोगी/भण्डारी)			
41	रूल्ड रजिस्टर 140 पेज (लोढ़ा/रस्तोगी/भण्डारी)			

दरें FOR विश्वविद्यालय स्टोर हैं। दरें VAT सहित हैं अथवा रहित हैं स्पष्ट उल्लेख करें।

- आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 2 माह की अवधि में सम्पूर्ण मात्रा की सुपूर्दगी की जाएगी।
- निविदा की दरें 1 वर्ष तक विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार आदेश के अनुसार सामान विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाना होगा।
- अमानत राशि रु. 6000/- डी.डी. संख्या..... दिनांक द्वारा जमा करवा दी गई है।
- विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
- सामग्री हेतु क्रय आदेश के पूर्व नमूना अनुमोदित कराना होगा। नमूना मांग करने पर 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा के साथ नमूना संलग्न करना होगा। पेपर रीम इन्टरनेशनल पेपर/जे. के. पेपर/बिन्दल पेपर 70 जी.एस.एम. की दरें प्रस्तुत की जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा (एस.आर. प्रारूप -11)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं। (जो लागू नहीं हो काट दिया जावे।)

यदि वह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्ध लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. "वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ" :- निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

3. (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **बिक्री कर पंजीयन :-** किसी भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या तथा TIN No. का उल्लेख किया जाना चाहिए।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किताबें भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. **दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी।** इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में VAT, राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय करों का स्पष्ट उल्लेख करें।

7. **दरों गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सर्वा अनुभंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।** किसी गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी।

8. (i) **दरों की तुलना :-** राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदात दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

9. **मूल्य अधिमान :-** [मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

10. **विधिमान्यता :-** निविदाएँ, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

11. **अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए** यह समझा जाएगा कि उसने प्रशय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो यह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. **निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।**

13. **विनिर्देश :-** (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।

(ii) निविदा के साथ नमूना संलग्न करना आवश्यक है।

(iii) वारंटी/वारंटी खण्ड :- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से तीन माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि 3 माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी को भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिभूल प्रभाव नहीं डालेगी।

14. निरीक्षण :- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को मालों/सामानों/वस्तुओं के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता; उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. रद्द करना :- (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं सपझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दलों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

16. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके पदे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

17. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लॉकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर धरती गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

18. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

20. (i) सुपुर्दगी-अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, कुलसचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की प्राप्ति तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। सामग्री का प्रदाय अनुमोदित नमूने के अनुसार होना चाहेगा।

(ii) मात्रा की सीमा - आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा की सूचना में उल्लिखित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल आदेश के मूल्य का 25% तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होंगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्राप्त में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

21. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):-** (क) निविदा के साथ 6000/- रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि Registrar Dr. S. R. Rajasthan Ayurved University Jodhpur के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :-

(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूट :-** उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि / प्रतिभूति निक्षेप की सभी निविदाओं के लिए बयाना राशि / प्रतिभूति-धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि का उपयोग में लिया जा सकता है।

22. **बयाना राशि का समपहरण :-** बयाना राशि का निम्नलिखित मामलों में समाहृत कर लिया जाएगा :

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रदाय को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी कारण से, यदि कोई हो, विधायित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

23. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-** (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रायः 17 में 500 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाफ पर करार पत्र विधायित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य 5% के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/चालान की रसीदों प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्विंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(घ) एक बार खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार पदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्वगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

[(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटोस्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने

पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूटी दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।]

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त अंतिम।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिलिपि (Counter Bill) निःशुल्क दी जाएगी।

24 (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5% की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफों में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करते पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

25. बीमा :- (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, भीकम नें गड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक प्राधिकारों से कराया जाना चाहिए।

26. भुगतान :- (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निर्धारण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पंक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार विल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25% तक की गिराव आया तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब तक परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुसार हों।

34(i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

(1) (क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विस्तार के लिए	25%
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	3%
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	75%

- (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उसे प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायका हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

27. **वसूलियाँ :-** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनका नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्राविष्टता निर्देश से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

28. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

29. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं सपझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

30. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या बिना वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

31. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

- यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन न्यूनतम एक वर्ष।
- एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, देसाफीन सम्भार।
- कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

32. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उसे विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा से संबन्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

33. स्मस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जोड़पुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

34. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करके भरी जा सकती है। ऐसी दशा में निविदा शुल्क 200/- रुपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

35. राजस्थान 'Transparency in Public Procurement Rule 2013' के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

36. निविदा प्रपत्र कार्यालय से क्रय कर अथवा विभाग के वेबसाईट से डाउनलोड कर भी भरी जा सकती है। निविदाये इन प्रपत्रों पर ही स्वीकार की जावेगी। अलग से दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर